FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

देवा पुत्र पेमा जाति जाट
सा. लोरपुरा तह. नावां

बनाम

रेखा पुत्र माना जाति जाट वगै.
सा. लोरपुरा तह. नावां

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए

मुकदमा नम्बर 0116 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
05.03.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम लोरपुरा के खसरा 111, 112, 113, 124, 126 कुल रकबा 2.27 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.04.2024 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
8/4/24	पत्रावली ... एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स ... का निवेदन किया। पत्रा... होकर दिनाँक 22/5/24 ... Sd	
२४।५।२४	पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र पत्रावली आज ही तलब कर जरिये विड्रोल खारिज करने प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त पत्रावली विचाराधीन में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए जरिये विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली कायम [illegible] होकर नम्बर से कम हो व [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 15:19:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner